अधिसूचना

(इलायची नियंत्रण)

इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1987

सा. का. नि. 116(अ) :—केन्द्रीय सरकार, गर्म मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से गर्म मसाला बोर्ड, 1986 (1986 का 10) अभिप्रेत है;

(ख) "नीलामकर्ता" से इलायची के नीलामों के संचालन के कारबार में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ग) व्यौहारी से इलायची के क्रय और विक्रय के कारबार में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है परन्तु इसके अन्तर्गत नीलामकर्ता या निर्यातकर्ता नहीं है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है।

(ङ) "व्यक्ति" से कोई व्यष्टि अभिप्रेत है और इसमें कम्पनी, फर्म सोसायटी और कोई अन्य संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है।

3. इलायची का कारबार चलाने के लिए शर्तें :—

(1) कोई व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत जारी की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों और निबन्धनों और इलायची उद्योग विकास बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अधीन या उनके अनुसरण में इलायची के नीलामकर्ता या व्यौहारी, के रूप में कारबार करेगा अन्यथा नहीं।

(2) इलायची का कोई उत्पादक, अपनी उपज, किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त नीलामकर्ता के माध्यम के अन्यथा या उत्पादकों से इलायची क्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी व्यौहारी से भिन्न, किसी को विक्रय नहीं करेगा :

परन्तु, यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि उपजकर्ताओं को लाभप्रद प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए सारी इलायची को निलामों के माध्यम से निकालना आवश्यक है, तो बोर्ड उत्पादकों से अपेक्षा कर सकता है कि वे अपनी उपज, उपर्युक्त नीलामों के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यौहारियों को विक्रय करें।

4. इलायची का कारबार करने के लिए व्यक्तियों का अनुज्ञापन :

(1) कोई व्यक्ति जो किसी भी वर्ष नीलामकर्ता या व्यौहारी के रूप में कारबार करने की वांछा करे, बोर्ड को प्ररूप "क" में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकता है :

परन्तु जहां कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की वांछा करता है, वहां पृथक-पृथक आवेदन करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई नीलामकर्ता एक से अधिक केन्द्र में नीलाम का संचालन करने की वांछा करता है, तो प्रत्येक केन्द्र के लिए नीला(क)मों के लिए पृथक अनुज्ञप्ति आवश्यक होगी।

(2) प्रत्येक आवेदन के साथ गर्म मसाला बोर्ड, कोचिन के पक्ष में संदेय 100/- रु. की फीस क्रास मांग देय ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर द्वारा दी जाएगी।

(3) यदि बोर्ड का आवेदक की उपयुक्तता की बाबत समाधान हो जाता है तो वह उसे प्ररूप "ख" में अनुज्ञप्ति जारी कर सकता है।

5. अनुज्ञप्तियों का नवीकरण :

(1) नीलामकर्ता के रूप में अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति है, प्ररूप "क" में नियम 4 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीती से, अपना आवेदन फीस के साथ, बोर्ड को इस प्रकार भेजेगा कि वह बोर्ड के पास जिस वर्ष में अनुज्ञप्ति समाप्त हो रही हो उसके पूर्ववर्ती वर्ष में 30 जून को या उससे पूर्व पहुंच जाए :

परन्तु बोर्ड, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई आवेदन, अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख तक ले सकता है, यदि विलम्ब के प्रति मास या उसके भाग के लिए 25 रु. की अतिरिक्त फीस का संदाय किया जाता है।

6. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता :

अनुज्ञप्ति, सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। परन्तु बोर्ड, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, अल्पतर अवधि के लिए अनुज्ञप्ति जारी कर सकता है।

7. अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्दकरण :

(1) यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का या अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए साधारण या विशिष्ट निदेशों का उल्लंघन किया है या कोई व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की गई है, अनुज्ञप्ति कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया है, तो वह किसी अन्य विधि के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात और ऐसे कारण से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, एक लिखित आदेश द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति अनुज्ञप्ति धारी को भेजी जाएगी।

8. अपील (1) बोर्ड के किसी ऐसे आदेश से, जिसके द्वारा किसी अनुज्ञप्ति को जारी या नवीकृत करने से इन्कार किया गया हो या किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या प्रतिसंहृत किया गया हो, व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश किए जाने के साठ दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकती है जो वह ठीक समझे :

9. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां :—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, समय समय पर, ऐसे रजिस्टर और विवरणियां बनाए रखेगा और प्रस्तुत करेगा जो उन शर्तों के अधीन जिनके अनुसार अनुज्ञप्ति जारी की गई है, अपेक्षित है।

[सं. 712/86-ई पी (एपी-5)]

बी. पी. बागची, संयुक्त सचिव

प्ररूप "क"

[नियम 4(1) और 5(5) देखिये]

नीलामकर्त्ता/व्यौहारी के रूप में अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए/अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

(1)(क) आवेदक का नाम
(साफ अक्षरों में)

(व्यक्ति/फर्म/कंपनी/सोसाइटी/संगम)

(ख) नवीन या नवीकरण, यदि नवीकरण है, तो पूर्ववर्ती वर्ष की अनुज्ञप्ति संख्यांक दीजिए।

(ग) भेजी गई फीस के ब्यौरे।

(2)(क) पूरा पता (प्रधान कार्यालय और शाखाओं के यदि, कोई हों, पते दिए जाने चाहिए)

(ख) तार, टैलैक्स, टेलीफोन, यदि कोई हों।

(3) भण्डार-स्थान का पूरा पता।

(4) कारबार की प्रकृति (नीलामकर्त्ता/व्यौहारी)

(5) फर्म/कंपनी/सोसाइटी/संगम के स्वत्वधारी/स्वत्वधारियों/भागीदारों/निदेशकों के पूरे नाम और स्थायी पते।

(6) विनिधान की गई पूंजी/वित्तीय ख्याति

(7) वर्ष जिनके दौरान आवेदक के पास बोर्ड की अनुज्ञप्ति थी।

(8) निम्नलिखित जानकारी (प्रत्येक मामले को लागू की जाएगी) :—

नीलामकर्त्ता

(i) नीलाम का स्थान।

(ii) नीलाम का दिन/समय और आवृत्ति

(iii) उपजकर्त्ताओं और नीलाम में सफल बोली बोलने वालों को दिए गए कोई वित्तीय सौकर्य, यदि कोई हों।

(iv) भण्डारण सुविधाएं/गोदाम की अवस्थिति।

(v) नीलामघर की अवस्थिति।

(vi) इलायची के श्रेणीकरण के लिए सुविधाएं, यदि कोई हों।

(vii) तीन, पूर्ववर्ती अनुज्ञापन वर्षों के दौरान, नीलाम की गई इलायची की मात्रा और उसका मूल्य (सितम्बर-अगस्त)

	वर्ष (सितम्बर-अगस्त)	मात्रा (कि.ग्रा.)
	19	19......
	19 ...	19... .
	19 ...	19 . ..

व्यौहारी

(1) इलायची के क्रय का स्रोत (रोपक से या नीलाम में)

(2) भण्डारण सुविधाएं।

(3) क्या इलायची को भण्डारण के दौरान संक्रमण से बचाने के लिए धूमन किया गया है ?

(4) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी एक संव्यवहार अधिकतम और न्यूनतम क्रय और विक्रय की गई इलायची की मात्रा और उसका मूल्य।

(5) पूर्ववर्ती तीन अनुज्ञप्ति वर्षों में क्रय और विक्रय की गई इलायची की मात्रा और मूल्य।

वर्ष	क्रय		विक्रय	
सितम्बर-अगस्त	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (रु.)	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (रु.)
19. . 19...				
19... 19...				
19... 19...				

घोषणा

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और यह कि मैं/हम इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1987 का और कारबार के संचालन करने के बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशों का पालन करूंगा/करेंगे।

(आवेदक या आवेदकों के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

टिप्पणी : (1) किसी भी व्यक्ति को अपने कारबार के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए जैसे नीलामकर्ता या व्यौहारी के रूप में अलग-अलग आवेदन करना होगा।

(2) जिन आवेदनों के साथ विहित फीस संलग्न नहीं है उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्ररूप ख

[नियम 4(3) देखें]

नीलामकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति

(अनन्तरणीय)

अनुज्ञप्ति सं. ---------

श्रीमती / श्री / मैसर्स --को नीलामकर्ता के रूप में --------------------------------में इलायची का कारबार करने के लिए, इसके नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत किया जाता है।

अनुज्ञप्ति 19 के अगस्त के इकतीसवें दिन तक विधिमान्य है।

स्थान : मुद्रा सचिव के हस्ताक्षर.

(1) नीलामकर्ता उस स्थान, उस दिन और उस समय पर जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, नीलाम करेगा।

(2) नीलामकर्ता विक्रय के लिए प्रस्तावित इलायची के प्रत्येक ढेर में से 500 ग्राम इलायची नमूने के रूप में निकालेगा उसमें से 350 ग्राम इलायची नीलाम प्रारम्भ होने से चार घंटे पहले नीलाम स्थल पर, बोली लगाने वालों की जांच के लिए प्रदर्शित करेगा तथा एक सूची प्रकाशित करेगा जिसमें प्रत्येक ढेर की मात्रा प्रत्येक ढेर के ग्रामों में वजन और आरक्षित कीमत का उल्लेख होगा। सूची की एक प्रति बोर्ड को भेजी जाएगी। नमूने में की 100 ग्राम इलायची सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दी जाएगी और शेष 50 ग्राम किसी विवाद की दशा में, सत्यापन के लिए मुहरबन्द पोलिथीन के थैले में, सात दिन तक रखी जाएगी। यथास्थिति, उक्त अवधि की समाप्ति पर या विवाद के समझौता हो जाने पर, इलायची का स्वामी, नीलामकर्ता द्वारा नमूने के रूप में निकाली गयी इलायची में से शेष इलायची वापस लेने के लिए हकदार होगा।

2(क) नीलामकर्ता, अपने द्वारा की गई सेवाओं के लिए कमीशन के रूप में, विक्रय कीमत का एक प्रतिशत कमीशन से अधिक का प्रभार नहीं लेगा।

(ख) नीलामकर्ता, स्वामियों से जो अपनी इलायची नीलाम के लिए लाते हैं, उसे देय एक प्रतिशत कमीशन से अधिक कोई बट्टा या नकद या वस्तुरूप में संदाय/अपने लिए या क्रेता की ओर से नहीं लेगा या स्वीकार नहीं करेगा। नीलामकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि स्वामी को, नीलाम में विक्रय की गई इलायची की संपूर्ण मात्रा का मूल्य प्राप्त हो।

(3) नीलामकर्ता प्ररूप "ग" में एक रजिस्टर रखेगा।

(4) नीलामकर्ता, नीलाम की तारीख से सात दिन के भीतर प्ररूप "ग" में रखे गए रजिस्टर का उद्धरण, बोर्ड को भेजेगा।

(5) नीलामकर्ता, नीलाम से अगले दिन नीलाम की एक अग्रिम रिपोर्ट प्ररूप "घ" में भेजेगा।

(6) नीलामकर्ता किसी ऐसी एस्टेट के स्वामी से जिसने अपनी एस्टेट रजिस्ट्रीकृत न कराई हो या किसी ऐसे व्यवहारी से जो बोर्ड से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है, इलायची के विक्रय के लिए बातचीत नहीं करेगा।

(7) जहां कोई नीलामकर्ता अपने कारबार को किसी दूसरे व्यक्ति को अन्तरित करता है, वहां अन्तरिती, इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1986 के अधीन नई अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा।

(8) जहां अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है, वहां मूल अनुज्ञप्ति पर्यवसित हुई समझी जाएगी और यदि एक से अधिक व्यक्ति मृत व्यक्ति के वारिस होने का दावा करें तो वारिस या वारिसों में से प्रत्येक उसके लिए नई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए बोर्ड को आवेदन करेगा।

(9) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, नीलामकर्ता के रूप में अपने कारबार के सम्बंध में, उसके द्वारा रखे गए सभी लेखाओं, रजिस्टरों अन्य अभिलेखों को बोर्ड के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त अध्यक्ष ने प्राधिकृत किया हो, मांग की जाने पर, निरीक्षण के लिए पेश करेगा।

(10) नीलामकर्ता प्रत्येक नीलाम की बाबत नीलाम की तारीख से 14 दिन के भीतर बोली लगाने वालों से शोध्य संदाय को वसूल करेगा और उन्हें नीलाम की तारीख से 21 दिन के भीतर उगाने वालों को संदाय करेगा। उगाने वालों और व्यापारियों से शोध्यों की बाबत जानकारी प्रत्येक नीलाम की बाबत बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

(11) नीलाम कर्ता उगाने वालों द्वारा और अदावाकृत रकम को बैंक के पृथक खाते में रखेगा और प्रत्येक नीलाम की बाबत ब्यौरे बोर्ड को सूचित करेगा। असमाधान कारणों के बिना अनुबंधित अवधि के भीतर उगाने वालों को शोध्यों का संदाय न किया जाना (इलायची अनुज्ञप्ति और विपणन) नियम 1987 का अतिक्रमण है।

व्यौहारी के रूप में अनुज्ञप्ति

(अनन्तरणीय)

अनुज्ञप्ति सं.

श्रीमती/श्री/मैसर्स———————————————————————नीलाम—में/उत्पादकों से प्रत्यक्ष इलायची का क्रय करने के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत किया जाता है।

यह अनुज्ञप्ति 19————के अगस्त के इकतीसवें दिन तक विधिमान्य है।

1. ————————————

————————————

सचिव के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख

मुद्रा

शर्तें :

(1) व्यौहारी, किसी ऐसी संपदा के स्वामी से जिसने अपनी संपदा का रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया हो या ऐसे नीलामकर्ता से जिसे बोर्ड द्वारा अनुज्ञप्ति न दी गई हो, इलायची का क्रय नहीं करेगा।

(2) कोई व्यौहारी, इलायची उत्पादकों या नीलामकर्ताओं से नकद या वस्तु रूप में, चाहे वह बट्टे के रूप में हो या कमीशन के रूप में, न तो किसी रकम की मांग करेगा और न स्वीकार करेगा। किसी नीलाम में भाग लेने वाला कोई व्यौहारी, लाटों में उसके द्वारा क्रय की गई इलायची की सम्पूर्ण मात्रा के लिए पूर्ण मूल्य का संदाय करेगा।

(3) प्रत्येक व्यौहारी, प्ररूप "ड" में एक रजिस्टर रखेगा।

(4) प्रत्येक व्यौहारी प्ररूप "च" में एक मासिक विवरण इस प्रकार भेजेगा कि वह उसके पश्चात्वर्ती मास के दसवें दिन को या उससे पूर्व बोर्ड के पास पहुंच जाए।

(5) जहां कोई व्यौहारी अपना कारबार, अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है, वहां अन्तरिती नई अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा :

(6) जहां अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है, वहां मूल अनुज्ञप्ति पर्यवसित हुए समझी जाएगी और यदि एक से अधिक व्यक्ति मृत व्यक्ति के वारिस होने का दावा करते हैं करें तो वारिस या वारिसों में से प्रत्येक नई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए बोर्ड को आवेदन करेंगे।

(7) प्रत्येक व्यौहारी, इलायची व्यौहारी के रूप में अपने कारबार के संबंध में उसके द्वारा रखे जाने वाले सभी लेखाओं, रजिस्टरों अन्य अभिलेखों को बोर्ड, के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त अध्यक्ष ने प्राधिकृत किया हो, मांग की जाने पर, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

(8) व्यौहारी नीलाम में क्रय किए गए इलायची के मूल्य नीलाम की तारीख से 14 दिन के भीतर नीलामकर्ता को संदाय करेगा। अनुबंधित अवधि के भीतर क्रय मूल्य का संदाय न किया जाना इलायची (अनुज्ञप्ति और विपणन) नियम, 1987 का अतिक्रमण है।

(9) अनुज्ञप्ति का उत्तरवर्ती 3 वर्षों के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा, यदि व्यौहारी विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करने की अवधि के दौरान कारबार के संव्यवहार करने में असफल रहता है या "कोई नहीं" विवरण प्रस्तुत करता है।

प्ररूप "ग"

(प्ररूप ख 1 की शर्त 4 देखिए)

नीलाम रिपोर्ट

(1) रोपक (2) व्यौहारी से प्राप्त इलायची के नीलाम के लिए पृथक रिपोर्ट की जानी चाहिए ।

गर्म मसाला बोर्ड	अनुज्ञप्ति सं.:	अधिकतम कीमत :	रु.
	मद सं.	न्यूनतम कीमत :	रु.
	नीलाम सं.	औसत कीमत :	रु.
	नीलाम की तारीख :		

क्रम सं.	रोपक/व्यौहारी का पूरा नाम और पता	संपदा रजिस्ट्रीकरण संख्या गर्म मसाला बोर्ड अनुज्ञप्ति सं.	नीलाम के लिए रखी गई मात्रा (कि.ग्रा.)	विक्रय की मात्रा (कि.ग्रा.)
1	2	3	4	5

प्रति कि.ग्रा. दर रु.	मूल्य रु.	कमीशन रु.	बोली लगाने वाले का पूरा नाम और पता	गर्म मसाला बोर्ड अनुज्ञप्ति सं.	टिप्पण
6	7	8	9	10	11

मैं/हम पुष्टि करता/करते हैं/हूं कि मैंने/हमने नीलाम में विक्रय की गई इलायची के स्वामियों से, नियमों के अधीन मुझे/हमें अनुज्ञात 1% कमीशन से भिन्न कोई बट्टा या कमीशन स्वीकार या प्राप्त नहीं किया है, न ही मैंने/हमने कोई इलायची या कमीशन आगे क्रेताओं को दी है।

नीलामकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

1675 GI/87—3

प्रपत्र "घ"

[प्रपत्र ख-1 की शर्त (5) देखिए]

अग्रिम नीलाम रिपोर्ट

नीलामकर्ता का नाम और पता

गर्म मसाला बोर्ड की अनुज्ञप्ति सं.

1. ऋतु
2. नीलाम सं.
3. नीलाम की तारीख
4. पूर्ववर्ती नीलामों से अग्रनीत मात्रा (कि. ग्रा.)
5. नई आमद (कि. ग्रा.)
6. नीलाम के लिए रखी गई कुल मात्रा [(कि. ग्रा.) क्रम सं. (4) और (5) की कुल मात्रा]
7. विक्रय की गई कुल मात्रा (कि. ग्रा.)
8. निकाली गई मात्रा (कि. ग्रा.) क्रम सं. (6) (7)।
9. रोपकों को वापस की गई मात्रा (कि. ग्रा.)
10. नीलामकर्ता के पास अतिशेष (कि. ग्रा.) क्रम सं. (8)—(9)
11. विक्रयों का कुल मूल्य (रु.)
12. अधिकतम कीमत (रु./कि. ग्रा.)
13. न्यूनतम कीमत (रु./कि. ग्रा.)
14. औसत कीमत (रु.कि./ग्रा)

नीलामकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

प्रपत्र "ङ"

(प्रपत्र ख-II—देखिए)

अनुज्ञप्ति-प्राप्त व्यौहारी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

व्यौहारी का नाम और पता

अनुज्ञप्ति सं.

क्रय की तारीख	उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे क्रय किया गया	क्रय उस व्यक्ति का प्रवर्ग जिससे क्रय किया गया है उदाहरणतया रोपक/नीलामकर्ता	नीलामकर्ता की संपदा की रजिस्ट्रीकरण संख्या/अनुज्ञप्ति संख्या	मात्रा कि. ग्रा.	मूल्य रु
1	2	3	4	5	6

विक्रय की तारीख	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे इलायची विक्रय की गई	अन्तरित विक्रय उस व्यक्ति का प्रवर्ग जिसे इलायची विक्रय की गई (उदाहरणतया निर्यातकर्ता उपभोक्ता अन्य)	निर्यात* मात्रा (कि. ग्रा.)	मूल्य रु.	मात्रा कि. ग्रा.	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य
1	2	3	4	5	6	7

*केवल उन व्यवहारियों को लागू है जिनके पास निर्यातकर्ता की अनुज्ञप्ति है।

प्ररूप "घ"

(प्ररूप ख-II की शर्त (4) देखिए)

अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यौहारी द्वारा बोर्ड को भेजे जाने वाला मासिक विवरण)

व्यौहारी का नाम और पता :

गर्म मसाला बोर्ड की अनुज्ञप्ति सं

मास

क्रय		आन्तरिक विक्रय			
जिससे क्रय किया	मात्रा कि.ग्रा.	मूल्य (रु.)	जिससे विक्रय किया गया	*निर्यात	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य
मात्रा (कि.ग्रा.)		मूल्य (रु.)		मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (रु.)
1. रोपक			1. निर्यातकर्ता		
2. नीलामकर्ता			2. उपभोक्ता		
3. अन्य			3. अन्य		
कुल		कुल		कुल	

1. पिछले मास का अग्रनीत स्टाक (कि. ग्रा.)

2. मास के दौरान क्रय की गई कुल मात्रा (कि. ग्रा.)

3. मास के दौरान आन्तरिक विक्रयों की कुल मात्रा (कि. ग्रा.)

4. मास के दौरान किए गए निर्यात की कुल मात्रा (कि. ग्रा.)

5. मास के अन्त में बन्द स्टाक (कि. ग्रा.)

*केवल उन व्यौहारियों को लागू होगा जिनके पास निर्यातकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र है।

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने इलायची के अपने उत्पादक से प्रत्यक्ष : या नीलामकर्ता के माध्यम से कोई कमीशन या बट्टा नहीं स्वीकार किया है।

व्यौहारी के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

(CARDAMOM CONTROL)

(The Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 116(E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Spices Board Act, 1986, (10 of 1986) and in supersession of the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1977, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) 'Act' means the Spices Board Act, 1986;

(b) 'auctioneer' means a person engaged in the business of conducting cardamom auctions;

(c) 'Dealer' means a person engaged in the business of purchasing and selling of cardamom but does not include any auctioneer or exporter;

(d) 'Form' means a form appended to these rules;

(e) 'Person' means an individual and includes company, firm, society and any other association or body of individuals, whether incorporated or not.

3. Conditions to carry on business in cardamom.—(1) No person shall carry on business as auctioneer or dealer of cardamom except under and in accordance with the terms and conditions of a licence issued under these rules and such other instructions as may be issued, from time to time, by the Board for the development of the cardamom industry.

(2) No producer of cardamom shall sell his produce otherwise than through a Licensed auctioneer or to a dealer licensed to purchase cardamom from producers :

Provided that the Board may, if it is satisfied that to ensure remunerative returns to growers, it is necessary to route all cardamom through auctions, require producers to sell their produce to the licensed dealers through auctions alone.

4. Licensing of persons to carry on business of cardamom.—(1) Any person desiring to carry on business as auctioner or dealer in any year may apply in Form A to the Board for a licence :

Provided that separate applications shall be necessary where a person desires to be licensed in more than one capacity :

Provided further that separate licence shall be necessary for an auctioneer in respect of each centre if he desires to conduct auctions in more than one centre.

(2) Every application shall be accompanied by a fee of Rs. 100 by a crossed demand draft or postal order drawn payable to the Spices Board at Cochin.

(3) The Board may, if it is satisfied as to the suitability of the applicant, issue a licence to him in Form B.

5. Renewal of licences.—(1) Any person desiring to renew his licence as auctioneer or dealer may submit his application to the Board accompanied by the fees, and in the manner specified in sub-rule (2) of rule 4 in Form A so as to reach the Board on or before the 30th June of the year in which the licence expires :

Provided that the Board may entertain an application for the renewal of licence up to the date of expiry of the licence on payment of an additional fee of Rs. 25 for the delay of every month or part thereof.

6. Validity of licence.—The licence shall normally be valid for a period of three years :

Provided that the Board may issue a licence for a shorter period for reasons to be recorded in writing.

7. Suspension or cancellation of licence.—(1) If the Board is satisfied that a licensee has violated any of the conditions of the licence or any provision of the Act or rules made thereunder or in general or specific directions issued by the Board or an authorised officer of the Board or that any person to whom licence has been issued under these rules has obtained such licence by fraud or misrepresentation, it may, without prejudice to any other action which may be taken under any other law, after giving a reasonable opportunity to such licensee of being heard and for reasons to be recorded in writing, suspend or cancel such licence by an order in writing.

(2) A copy of the order made under sub-rule (1) shall be communicated to the licensee.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order of the Board refusing to issue or renew a licence or suspending or revoking a licence may, within 60 days from the date of making of such order, appeal to the Central Government.

(2) On receipt of the appeal under sub-rule (1), the Central Government shall after giving a reasonable opportunity to the appellant of being heard, pass such order as it may deem fit.

9. Returns to be submitted by licensees.—Every licensee shall from time to time, maintain and submit such registers and returns as may be required under the conditions on which the licence is issued.

[F. N. 7/2/86-EP (Agri. V)]

D. P. BAGCHI, Jt. Secy.

FORM–A

[See Rule 4(1) and 5(1)]

Application for issue/renewal of licence as auctioneer/dealer

(1) (a) Name of the Applicant (In Block Letters) (Individual/Firm/Company/Society/Association)

(b) Fresh or renewal. If renewal, give previous year's licence No.

(c) Details of fee remitted

(2) (a) Address in full (Addresses of principal office and branches, if any, should be given)

(b) Telegram, Telex, Telephone, if any

(3) Address in full of the place of storage.

(4) Nature of business (Auctioneer/dealer)

(5) Full name and permanent address of the proprietor/proprietors/partners/directors of the Firm/Company/Society/Association.

(6) Capital invested/financial standing.

(7) Years during which the applicant was in possession of Board's licence.

(8) The following information to be given (as applicable in each case)

AUCTIONEER

(i) Place of auction

(ii) Day/time and frequency of auction

(iii) Financial accommodation, if any, given to growers and successful bidders in auction.

(iv) Storage facilities/location of Godown

(v) Location of Auction Hall

(vi) Facilities for grading of cardamom, if any

(vii) Quantity and value of cardamom auctioned during the preceding three licensing years. (September-August)

(Year) (September—August)	Quantity (Kgs.)
19 .... 19....	
19 .... 19	
19 .... 19	

DEALER

(i) Source of purchase of cardamom (from planter or at auctions)

(ii) Storage facilities

(iii) Is cardamom fumigated against infestation during storage

(iv) Maximum and minimum quantity purchased and sold in any one transaction during the last year

(v) Quantity and value of cardamom purchased and sold during the last three Licensing Years

Year	Purchase		Sales	
(Sept.-August)	Qty (kgs.)	Value (Rs.)	Qty (kgs.)	Value (Rs.)
19.... 19....				
19.... 19....				
19.... 19....				

Declaration

I/We declare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief and that I/we shall abide by the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987 and any instruction given by the Board from time to time regarding the conduct of business.

Place: Signature of the

Date: Applicant or Applicants

Note:-(1) Separate application shall be made by a person for each category of business as auctioneer or dealer.

(2) Application not accompanied with the prescribed fee will not be entertained.

FORM-B

(See Rule 4 (3)

I. LICENCE AS AUCTIONEER

(Not Transferable)

Licence No. ....

Smt./Shri/Messers. ....
is/are hereby authorised to carry on business in cardamom as auctioneer at............................
subject to the conditions specified hereunder.

The licence is valid upto the 31st day of August 19......

Place: Signature of the Secretary

Date:

SEAL

Conditions:

The auctioneer shall conduct the auction at a place on a day and time specified by the Board.

(1) The auctioneer shall draw 500 grammes out of each lot of cardamom offered for sale as sample expose 350 grammes out of it for bidders to examine the same at the place of auction four hours before the commencement of the auction and circulate a list indicating the quantity of each lot, weight in grammes per litre and the reserve price. A copy of the list shall be sent to the Board. 100 grammes of the sample shall be given to the highest bidder and the balance of 50 grammes shall be kept by the auctioneer in a sealed polythene bag for a period of seven days for verification in case of any dispute. On expiry of the said period or on settlement of the dispute, as the case may be, the owner, of the cardamom shall be entitled to receive back the cardamom remaining from the sample drawn by the auctioneer.

(2) (a) The auctioneer shall not charge more than one per cent of the sale price as commission for the services rendered by him.

(b) The auctioneer shall not take or accept for himself or on behalf of the purchaser any discount or payment in cash or in kind from owners who bring their cardamom for auction over and above the one per cent commission due to him. The auctioneer shall ensure that the owner gets his value for the entire quantity of cardamom sold in the auction.

(3) The auctioneer shall maintain a register in Form 'C'.

(4) The auctioneer shall send to the Board an extract of the register maintained in Form C within seven days from the date of auction.

(5) The auctioneer will send an advance report of the auction on the next day of auction in Form D.

(6) The auctioneer shall not negotiate sale of cardamom with an estate owner who has not registered his estate or dealer who is not licensed by the Board.

(7) Where an auctioneer transfers his business to another person, the transferee shall obtain a fresh licence under the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987.

(8) Where a licensee dies, the original licence shall be deemed to have been terminated and if more persons than one claim to be heirs of the deceased, the heir or each of the heirs shall apply to the Board for the issue of a fresh licence for the same.

(9) Every licensee shall produce, on demand for inspection by any officer of the Board authroised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers and other records kept by him in connection with his business as an auctioneer.

(10) Auctioneer shall in respect of each auction recover payment due from bidders within 14 days from date of auction and shall pay the growers within 21 days from date of auction. The information regarding dues to growers and from traders shall be furnished to the Board in respect of each auction.

(11) The auctioneers may keep any unclaimed amount by the growers in a separate account in the Bank and details intimated to the Board in respect of each auction. Non-payment of dues to growers within the stipulated period without satisfactory reasons is violation of the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987.

II. LICENCE AS DEALER

(Not Transferable)

Licence No. ....

Shri/Smt./Messers ....

....

is/are hereby authorised to purchase cardamom in auction/purchase cardamom directly from producer subject to the conditions specified hereunder.

This licence is valid upto the 31st day of August 19........

1. ....

....

Signature of the Secretary

Place: ....

Date: ....

SEAL

Conditions:

(1) The dealer shall not purchase cardamom from an estate owner who has not registered his estate from an auctioneer who has not been licensed by the Board.

No dealer shall solicit or accept any amount in cash or kind from cardamom producers or auctioneers, whether by way of discount or commission. A dealer participating in an auction shall pay full value for the entire quantity of cardamom in the loss purchased by him.

(3) Every dealer shall maintain a register in form E.

(4) Every dealer shall send a monthly return in Form F so as to reach the Board on or before the 10th day of the succeeding month.

(5) Where the dealer transfers his business to another person the transferee shall obtain a fresh licence.

(6) Where a licensee dies, the original license shall be deemed to have been terminated and if more persons than one claim to the heirs of the deceased the heirs or each of the heirs shall apply to the Board for the issue of a fresh licence for the same.

(7) Every dealer shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers and other records kept by him in connection with his business as cardamom dealer.

(8) The dealers shall pay the auctioneers the value of the cardamom purchased in respect of an auction within 14 days time from the date of auction. Non payment of the purchase value within the stipulated period is violation of Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987.

(9) The licence will not be renewed for succeeding period of three years if the dealer fails to transact any business or submit 'Nil' returns during the period of holding a valid licence.

FORM C

(See condition (4) of Form B1)

Auction Report

[Separate report should be furnished for auctioning of Cardamom received from (i) Planter (2) Dealer]

Spices Board Licence No. Season: Maximum Price : Rs.

Auction No. : Minimum Price : Rs.

Date of Auction : Average Price : Rs.

Sl. No.	Name Full address of Planter/ Dealer	Estate Reg. No. Spices Board Licence No.	Qty. put for auction (kgs.)	Qty. sold (kgs.)	Rate per Kg. (Rs.)	Value (Rs.)	Commission (Rs.)	Name & full address of the bidder	Spices Board. Licence No.	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										

I/We confirm that no discount or commission other than the 1% commission permitted to me/us by the Rules has been accepted by me/us or received from the owners of cardamom sold in the auction nor have I/We passed on any cardamom or commission to the purchasers.

Signature of the Auctioneer

Place:

Date:

FORM–D

(See Condition (5) of Form B-I)

ADVANCE AUCTION REPORT

Name and Address of the Auctioneer Spices Board's Licence Number:

1. Season:
2. Auction Number:
3. Date of Auction:
4. Quantity carried over from previous Auction (Kgs.)
5. Fresh Arrivals (Kgs.):
6. Total quantity put for Auction (Kgs.)
   (Total of Sl. No. 4 & 5)
7. Total quantity sold (Kgs.):
8. Quantity withdrawn (Kg.):
   Sl. No. (6)—(7)
9. Quantity returned to Planters (Kgs.)
10. Balance with the Auctioneer (Kgs.)
    Sl. No. (8)-(9)
11. Total value of the sales (Rs.)
12. Maximum Price (Rs./Kg.)
13. Minimum Price (Rs./Kg.)
14. Average Price (Rs./Kg.)

Signature of the Auctioneer

Place:

Date:

1675 GI/86—4

FORM E

(See Form B II)

(Form of the Register to be maintained by Licensed Dealer)

Name and Address of the Dealer:

Licence No. Month:

PURCHASES

Date of Purchase	Name and address of the person from whom purchase is made	Category of the person from whom purchase is made (Viz. Planter/Auctioner)
1	2	3

Registration No. of the Estate/ Licence No. of Auctioneer	Quantity (Kgs.)	Value (Rs.)
4	5	6

INTERNAL SALES						EXPORTS*
Date of Sale	Name and Address of the person to whom cardamom is sold	Category of the person to whom cardamom is sold (viz. Exporters/Consumers, others)	Quantity (Kgs.)	Value (Rs.)	Quantity (Kgs.)	FOB Value
1	2	3	4	5	6	7

*Applicable only to dealers who are having certificate of registration as exporter.

FORM–F

[See Condition (4) of Form B-II]

(Monthly statement to be sent to the Board by Licensed Dealer)

Name and address of the Dealer:

Spices Board's Licence No. Month:

PURCHASES			INTERNAL SALES
Purchases from	Quantity (Kg.)	Value (Rs.)	Sold To

		EXPORTS*	
		F.O.B.	
Quantity (Kgs.)	Value (Rs.)	Quantity (Kgs.)	Value (Rs.)

1. Planters	1. Exporters
2. Auctioneers	2. Consumers
3. Others	3. Others
Total	Total

1. Carry over stock from last month (Kgs.)
2. Total quantity of purchase during the month
3. Total quantity of internal sales during the month (Kgs.)
4. Total quantity of exports during the month (Kgs.)
5. Closing stock at the end of the month (Kgs.)

* Applicable only to dealers who are having Certificate of Registration as exporter

I/We confirm that I/we have not accepted any commission or discount from any producer of Cardamom directly or through the auctioneer.

Signature of the Dealer

Place :

Date :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2014/कार्तिक 27, 1936
No. 603] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2014/KARTIKA 27, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 816(अ).—केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलायची (अनुज्ञप्ति और विपणन) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलायची (अनुज्ञप्ति और विपणन) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इलायची (अनुज्ञप्ति और विपणन) नियम, 1987 में,-

(1) नियम 2 में, -

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-

"(कक) ' नीलामी' से मसाला बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए और अनुमोदित मंच के माध्यम से इलायची की बिक्री का संचालन करने की प्रणाली अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मैन्युअल नीलामी, ई-नीलामी और ऑनलाइन नीलामी है ;"

(ख) खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ड.) 'व्यक्ति' से कोई व्यष्टि या कोई फर्म, कंपनी, बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के अधीन रजिस्ट्रीकृत बहु राज्य सहकारी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पूर्त सोसाइटी अभिप्रेत है;" ;

(2) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4. इलायची का कारबार करने के लिए व्यक्तियों का अनुज्ञप्तिकरण- (1) किसी वर्ष में नीलामकर्ता या व्यवहारी के रूप में कारबार करने की वांछा रखने वाला व्यक्ति प्ररूप क (नीलामकर्ता) या क 1 (व्यवहारी) में अनुज्ञप्ति के लिए बोर्ड को आवेदन कर सकेगा:

परंतु एक से अधिक क्षमताओं में अनुज्ञप्ति की वांछा रखने वाले व्यक्ति के लिए पृथक् आवेदन आवश्यक होंगे :

परंतु यह और कि किसी नीलामकर्ता के लिए प्रत्येक केन्द्र में मैन्युअल नीलाम की बाबत पृथक् अनुज्ञप्ति आवश्यक होगी यदि वह एक से अधिक केन्द्र में नीलामियां संचालित करने की वांछा रखता है।

(2) नीलामकर्ता या व्यवहारी के रूप में प्रत्येक आवेदन के साथ 1 सितंबर, 2014 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की खंड अवधि या उसके भाग के लिए उप नियम (6) में विनिर्दिष्ट फीस की रसीद संलग्न होगी। 1 सितंबर, 2017 से पश्चातवर्ती खंड अवधि के लिए नई अनुज्ञप्ति और अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए पूर्ववर्ती खंड अवधि के लिए लागू फीस से अधिक 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अनुज्ञप्ति फीस को, जहां लागू हो, सौ रुपए के नजदीकतम भाग तक पूर्णांकित कर दिया जाएगा। फीस सचिव, मसाला बोर्ड के पक्ष में बैंक अंतरण या रेखांकित खाता संदेय मांग पत्र के रूप में अर्नेकुलम या कोच्ची में संदेय होगी।

(3) बोर्ड, यदि उसका यथा लागू उप नियम (4) और उप नियम (5) के अनुसार आवेदक की उपयुक्तता का समाधान हो जाता है तो यथास्थिति प्ररूप –ख, प्ररूप-ख 1 या प्ररूप –ख 3 में अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

(4) नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदक के पास पूलित इलायची के भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण या गोदाम या संग्रहण डिपों की सुविधा और इलायची की सफाई और ग्रेडिंग के लिए सुविधा होगी।

(5) व्यवहारी अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदक के पास इलायची के भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण या गोदाम की सुविधाएं होंगी।

(6) नई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे दिए अनुसार फीस संलग्न होगी:-

(क) नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए संदेय फीस-

(i) मैन्युअल नीलामी- 5,000/-रुपए;

(ii) ई-नीलामी- 5,000/-रुपए;

(ख) व्यवहारी अनुज्ञप्ति के लिए संदेय फीस - 5,000/-रुपए है;"

(3) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5. अनुज्ञप्ति का नवीकरण- (1) नीलामकर्ता या व्यवहारी के रूप में अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति अपने आवेदन को बोर्ड को क्रमश: प्ररूप 1 या प्ररूप क 1 में उस वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व जिसमें अनुज्ञप्ति की वैधता का अवसान होता है, प्रस्तुत करेगा:

परंतु बोर्ड नवीकरण के लिए किसी आवेदन को अनुज्ञप्ति की वैधता के अवसान की तारीख तक ई-नीलामकर्ता की दशा में प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए विलंब के लिए 2500/- रुपए की अतिरिक्त फीस और मैन्युअल नीलामकर्ता या व्यवहारी की दशा में प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए विलंब के लिए में 250/- रुपए की अतिरिक्त फीस के संदाय पर स्वीकार कर सकेगा। ";

(2) बोर्ड का यदि आवेदक की उपयुक्तता का समाधान हो जाता है तो वह यथास्थिति प्ररूप ख या प्ररूप ख 1 या प्ररूप ख 3 में अनुज्ञप्ति का नवीकरण करेगा

(3) ई-नीलामी के लिए किसी अनुज्ञप्ति का तीन उत्तरवर्ती खंड अवधियों के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा यदि नीलामकर्ता एक वर्ष की लगातार की अवधि के लिए किसी कारबार का संव्यवहार करने में असफल रहता है या नियम 10 के उप नियम (1) के खंड (ट) के प्ररूप ग में रखे गए नीलाम रजिस्टर का सार विनिर्दिष्ट अवधि में, प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

(4) अनुज्ञप्ति का नवीकरण तीन वर्ष की उत्तरवर्ती खंड अवधि के लिए नहीं किया जाएगा यदि व्यवहारी किसी कारबार का संव्यवहार करने में असफल रहता है या वैध अनुज्ञप्ति धारण करने की अवधि के दौरान शून्य रिटर्न प्रस्तुत करता है

4. नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10. अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए निबंधन और शर्तें-

(1) नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकरण के लिए निबंधन और शर्तें नीचे दिए अनुसार होंगी:-

(क) ई-नीलामी के लिए आवेदक किसी बैंक गारंटी के माध्यम से उस खंड अवधि के लिए जिसके लिए आवेदक नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने की वांछा रखता है एक प्रतिभूति जमा (तीन वर्ष की तुरंत पूर्ववर्ती खंड अवधि के दौरान एक नीलामी में इलायची के औसत नीलाम मूल्य के बराबर) उपलब्ध कराएगा;

(ख) बोर्ड की सामान्य सुविधा का उपयोग करते हुए ई-नीलामी संचालित करने के लिए, कोई नीलामकर्ता किसी नीलामी में बिक्री की गई इलायची के प्रति टन के लिए 300 रुपए की उपयोगकर्ता फीस धन यथा लागू सेवा कर का संदाय करेगा। उपयोगकर्ता फीस में प्रत्येक उत्तरवर्ती खंड अवधि के लिए 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी जिसे नजदीकतम दस रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा ;

(ग) मैन्युअल नीलामी के लिए बैंक गारंटी लागू नहीं होगी ;

(घ) किसी राज्य में जहां बोर्ड ने सामान्य ई-नीलामी केन्द्र स्थापित किए हैं मैन्युअल नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी ;

(ड.) नीलामकर्ता उगाने वालों को जिनकी इलायची को पूलित किया गया है नीलामी की तारीख से दस दिन के भीतर किसी नीलामी में बिक्री की गई इलायची का लागू विक्रय मूल्य का संदाय करेगा । यदि नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार संदाय करने में व्यतिक्रम करता है तो बोर्ड तुरंत नीलामकर्ता उगाने वालों को संदेय रकम का व्यवस्थापन करने के लिए तुरंत बैंक गारंटी का अवलंब लेगा और अनुज्ञप्ति के निलंबन और /या रद्द करने के लिए कदम उठाएगा ;

(च) नीलामकर्ता आवश्यक भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जिसके अंतर्गत कृषकों को सुविधाजनक स्थानों पर इलायची को पूलित करने के लिए इलेक्ट्रानिक भार तौलने की मशीनें और नमी मापी हैं ;

(छ) नीलामकर्ता, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान और दिन तथा समय पर नीलामी का संचालन करेगा ;

(ज) नीलामकर्ता पूलित करने के लिए प्रस्ताव की गई इलायची के प्रत्येक लॉट (कृषक द्वारा नीलामी के लिए पूलित की गई यथा वांछित इलायची की मात्रा) में से एक हजार पांच सौ ग्राम इलायची निकालेगा और निकाले गए नमूने की मात्रा को उस व्यक्ति को जिसकी इलायची को पूलित किया गया है को जारी फसल पर्ची में अभिलिखित किया जाएगा । लिए गए नमूने में से सौ ग्राम को क्रय कर्ता के नमूने के रूप में अलग रखा जाएगा और पचास ग्राम को नीलामी केन्द्र में प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा । शेष बचे हुए एक हजार तीन सौ पचास ग्राम का उपयोग नीलामकर्ता द्वारा उक्त लॉट की बोली लगाने की प्रक्रिया के दौरान नमूनों के रूप में वितरित करने के लिए किया जाएगा । नीलामी लगाने वाला लिए गए नमूनें को इलायची उगाने वाले को एक हजार तीन सौ पचास ग्राम के मूल्य का प्रतिदाय करेगा । तत्पश्चात् नीलामकर्ता द्वारा उस व्यक्ति को जिसने इलाचयी को पूलित किया है, संदेय कुल रकम नमूने के प्रतिदाय के मूल्य का योग और वह मूल्य जिस पर लॉट की एक प्रतिशत पात्र कटौती करने के पश्चात् विक्रय किया गया है होगा । बर्बादी, भार में कमी और पूर्त के नाम पर किन्हीं अतिरिक्त प्रभारों की कटौती नहीं की जाएगी ;

(झ) नीलामकर्ता उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए विक्रय मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक को कमीशन के रूप में प्रभारित नहीं करेगा ;

(ञ) नीलामकर्ता स्वयं के लिए या क्रय कर्ता की ओर से उसको देय एक प्रतिशत कमीशन के अतिरिक्त किसी छूट या नकद या किसी वस्तु को न तो लेगा न ही स्वीकार करेगा । नीलामकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि स्वामी /विक्रेता को नीलामी में विक्रय की गई इलायची की संपूर्ण मात्रा का मूल्य प्राप्त होता है ;

(ट) नीलामकर्ता प्ररूप ग में एक रजिस्टर रखेगा और उसकी एक प्रति बोर्ड को नीलामी की तारीख से सात दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा ;

(ठ) नीलामीकर्ता नीलामी की एक अग्रिम रिपोर्ट भी नीलामी के अगले दिन प्ररूप घ में अग्रेषित करेगा ;

(ड) प्रत्येक नीलामकर्ता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर उसके द्वारा इलायची नीलामकर्ता के रूप में उसके कारबार के संबंध में उसके द्वारा रखे गए सभी लेखाओं, रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा ;

(ढ) नीलामकर्ता किसी अन्य व्यक्ति को उसके कारबार के अंतरण पर बोर्ड को उससे संसूचित करेगा और अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करेगा और अंतरिती इन नियमों के उपबंधों के अनुसार एक नई अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा ;

(ण) अनुज्ञप्तिधारी नीलामकर्ता की मृत्यु पर, उसे जारी की गई मूल अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी । तथापि विधिक उत्तराधिकारी और एक से अधिक विधिक उत्तराधिकारियों के होने पर मृतक का अन्य द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई एक विधिक उत्तराधिकारी बोर्ड को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार एक नई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा ;

(त) नीलामकर्ता प्रत्येक नीलामी की बाबत नीलामी की तारीख से सात दिन के भीतर बोली लगाने वालों से संदाय की भुगतान की वसूली करेगा और उगाने वालों के बकाया का नीलामी की तारीख से सात दिन के भीतर भुगतान करेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बोर्ड के समाधानप्रद रूप में बिना किसी कारण के उगाने वालों के बकाया का भुगतान अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन होगा । उगाने वालों को और व्यापरियों से बकाया के संबंध में सूचना और उनके संबंधित व्यवस्थापन को प्रत्येक नीलामी की बाबत मासिक आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा । नीलामकर्ता उगाने वालों को देय अदावाकृत रकम को बैंक में एक पृथक् खाते में रखेंगे तथा उसके ब्यौरों से प्रत्येक नीलामी की बाबत मासिक आधार पर बोर्ड को संसूचित किया जाएगा ।

(थ) नीलामकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी नीलामी में पूलित इलायची किसी मिलावट, संदूषण और कृत्रिम रंजकता से मुक्त है ।

(2) व्यवहारी अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकरण के लिए निबंधन और शर्तें नीचे दिए अनुसार हैं:-

(क) अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी इलायची केवल रजिस्ट्रीकृत ऐस्टेट स्वामियों/उगाने वालों या अनुज्ञप्तिधारी नीलामकर्ताओं से क्रय करेगा;

(ख) व्यवहारी इलायची उत्पादनकर्ताओं या नीलामकर्ताओं से चाहे छूट या कमीशन के माध्यम से नकद में किसी रकम या वस्तु का आग्रह नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा ;

(ग) प्रत्येक व्यवहारी प्ररूप ड. में एक रजिस्टर रखेगा ;

(घ) प्रत्येक व्यवहारी प्ररूप च में एक मासिक रिटर्न भेजेगा जिससे वह बोर्ड के पास पश्चातवर्ती मास की दस तारीख को या उससे पूर्व पहुंच जाए ;

(ड.) व्यवहारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसके कारबार के अंतरण पर वह उससे बोर्ड को संसूचित करेगा और अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करेगा तथा अंतरिती इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नवीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा ;

(च) अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी की मृत्यु पर, उसे जारी की गई मूल अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी । तथापि विधिक उत्तराधिकारी और एक से अधिक विधिक उत्तराधिकारियों के होने पर मृतक का अन्य द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई एक विधिक उत्तराधिकारी बोर्ड को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार एक नई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा ;

(छ) प्रत्येक व्यवहारी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर उसके द्वारा इलायची व्यवहारी के रूप में उसके कारबार के संबंध में उसके द्वारा रखे गए सभी लेखाओं, रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा ;

(ज) व्यवहारी, नीलामी की तारीख से सात दिन के भीतर प्रत्येक नीलामी की बाबत क्रय की गई इलायची के मूल्य का नीलामकर्ताओं को संदाय करेगा । विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रय मूल्य का भुगतान न करने को अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा ।

(5) प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

फर्म के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या नाम निर्दिष्ट अधिकारी का पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें

"प्ररूप क

[देखें नियम 4(1) और नियम 5(1)]

(नीलामकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति जारी करने/नवीकरण करने के लिए आवेदन)

1 व्यक्ति/फर्म का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

2. प्रधान/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

भवन सं.	
भवन का नाम	
गली	
नगर	पिन
राज्य	
टेलीफोन	
मोबाइल	
फैक्स	
ई-मेल	

3. प्रास्थिति (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

संपातिकता		प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	
हिंदू संयुक्त कुटुंब		पब्लिक लिमिटेड कंपनी	
भागीदारी		पब्लिक सेक्टर (केन्द्रीय सरकार)	
सहकारी सोसाइटी		पब्लिक सेक्टर (राज्य सरकार)	
अन्य		विनिर्दिष्ट करें	

*जो लागू न हो उसे काट दें

4. संपातिक/भागीदार/निदेशकों का पूरा नाम और स्थायी पता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त शीटें संलग्न करें)

भवन सं.	
भवन का नाम	
गली	
नगर	पिन
राज्य	

टेलीफोन										

मोबाइल										

फैक्स										

ई-मेल										

6. स्थायी लेखा संख्या (पैन)										

(क) विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण
(स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें)

साधारण विक्रय कर										
जारी करने की तारीख										
जारी करने का स्थान										
केन्द्रीय विक्रय कर										
जारी करने की तारीख										
जारी करने का स्थान										

(ख) उपदर्शित करें कि क्या आवेदन विद्यमान अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए है या नई अनुज्ञप्ति के लिए (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)		नवीकरण	नई	

(ग) यदि नवीकरण के लिए है तो अनुज्ञप्ति संख्या उपदर्शित करें								

जारी करने की तारीख								

नीलाम का स्थान	
नीलाम का दिन	
नीलाम का समय	

(घ) केवल तभी उत्तर दें जब आवेदन नवीकरण के लिए है
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नीलाम की गई इलायची की मात्रा और मूल्य

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (लाख रुपए में)

(ङ.) कृपया श्रेणी उपदर्शित करें (जो लागू हो सही का निशान लगाएं)

क	ख	ग

(क-10 करोड़ रुपए से अधिक का औसत कारबार ख-1-10 करोड़ रुपए का औसत कारबार, ग- 1 करोड़ रुपए से कम का कारबार)

(च) जमा की गई फीस के ब्यौरे	

रकम								रुपए

(छ) संदाय का ढंग	नकद	मांगदेय पत्र

(ज) मांगदेय पत्र संख्या									तारीख					

बैंक का नाम	

(झ) यदि नई नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए है तो उपदर्शित करें

(क) नीलाम का स्थान								
नीलाम का दिन								
नीलाम का समय								
आवर्ती								

(ञ) नीलाम के प्रस्तावित स्थान पर उपलब्ध अवसंरचना (कृपया उपयुक्त पर सही का निशान लगाएं)

गोदाम	हां	नहीं

यदि हां तो, गोदाम की अवस्थिति, पता और क्षमता
नीलाम हॉल
नीलाम हॉल का क्षेत्र
ग्रेडिंग सुविधा
भार तोलने की मशीन
लॉट नमूना प्रदर्शन बोर्ड
टेबल/कुर्सियां
नीलामी ब्योरे प्रदर्शन बोर्ड
कंप्यूटर सुविधाएं
भंडारण के लिए कुल फर्श क्षेत्र
परिवहन सुविधा
यानों के लिए पार्किंग सुविधा
गोदाम के लिए यानों के आवागमन के लिए सड़क की सुविधा
फर्श सतह-सीमेंट, टाइलें आदि
पैकिंग सुविधा

पैलेट सुविधा
सीविंग सुविधा
प्रकश सुविधा

(ट) उपलब्ध कार्यशील पूंजी								

(ठ) पूंजी ढांचा								

प्राधिकृत पूंजी								रुपए

संदत्त पूंजी								रुपए

घोषणा

मैं/हम--------------- घोषणा करते हैं कि पूर्वोक्त दी गई सूचना हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और मैं/हम इलायची (अनुज्ञप्ति और विपणन) नियम, 1987 का और कारबार के संचालन के लिए समय समय पर बोर्ड द्वारा दिए गए किन्हीं अनुदेशों का पालन करेंगे

स्थान:............................... तारीख:................................	हस्ताक्षर.. नाम... पदनाम.......................................

टिप्पण: ऐसे आवेदन जिनके साथ विहित संलग्न नहीं है पर विचार नहीं किया जाएगा

फर्म के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या नाम निर्दिष्ट अधिकारी का पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें

"प्ररूप क-1

[देखें नियम 4(1) और नियम 5(4)]

(व्यवहारी के रूप में अनुज्ञप्ति जारी करने/नवीकरण करने के लिए आवेदन)

1 व्यक्ति/फर्म का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

2. प्रधान/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

भवन सं.										

भवन का नाम										

गली										

नगर				पिन						

राज्य										

टेलीफोन										

मोबाइल										

फैक्स										

ई-मेल										

3. प्रास्थिति (जो लागू हो उसे टिक करें

संपातिकता		प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	
हिंदू संयुक्त कुटुंब		पब्लिक लिमिटेड कंपनी	
भागीदारी		पब्लिक सेक्टर (केन्द्रीय सरकार)	
सहकारी सोसाइटी		पब्लिक सेक्टर (राज्य सरकार)	
अन्य		विनिर्दिष्ट करें	

*जो लागू न हो उसे काट दें

4. आवेदन की गई अनुज्ञप्ती का प्रकार	नई	नवीकरण

नाम										

भवन सं.										

भवन का नाम										

गली										

नगर				पिन						

राज्य										
टेलीफोन										
मोबाइल										
फैक्स										
ई-मेल										
6. स्थायी लेखा संख्या (पैन)										

(क) विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण
(स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें)

साधारण विक्रय कर										
जारी करने की तारीख										
जारी करने का स्थान										
केन्द्रीय विक्रय कर										
जारी करने की तारीख										
जारी करने का स्थान										

(ख) उपदर्शित करें कि क्या आवेदन विद्यमान अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए है या नई अनुज्ञप्ति के लिए (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

नवीकरण	नई

(ग) यदि नवीकरण के लिए है तो अनुज्ञप्ति संख्या उपदर्शित करें								

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रय और विक्रय की गई इलायची की मात्रा और मूल्य								

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (लाख रुपए में)

(ङ.) जमा की गई फीस के ब्यौरे	

रकम								रुपए

(च) संदाय का ढंग	नकद	मांगदेय पत्र

(छ) मांगदेय पत्र संख्या									तारीख						

बैंक का नाम	

(ज) इलायची क्रय करने का स्रोत (जो लागू हो उस पर कृपया सही का निशान लगाएं)

नीलामकर्ता	उगाने वाला	व्यवहारी

(झ) भंडारण सुविधाएं
गोदाम का पत्ता

(ञ) गोदाम की क्षमता								

घोषणा

मैं/हम--------------- घोषणा करते हैं कि पूर्वोक्त दी गई सूचना हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और मैं /हम इलायची (अनुज्ञप्ति और विपणन) नियम, 1987 का और कारबार के संचालन के लिए समय-समय पर बोर्ड द्वारा दिए गए किन्हीं अनुदेशों का पालन करेंगे

स्थान: तारीख:	हस्ताक्षर नाम पदनाम

टिप्पण: ऐसे आवेदन जिनके साथ विहित संलग्न नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा

6. प्ररूप ख और प्ररूप ख-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

प्ररूप- ख

[देखें नियम 4(3)]

नीलामकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति (मैन्युअल)

अहस्तांतरणीय

अनुज्ञप्ति संख्या

श्रीमती/श्री/मैसर्स---------------को इलायची का नीलामकर्ता के रूप में -------------- इन नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए कारबार करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है

ये अनुज्ञप्ति 31 अगस्त------------तक वैध है

स्थान: तारीख:	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप- ख-1

[देखें नियम 4(3)]

नीलामकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति (ई-नीलाम)

अहस्तांतरणीय

अनुज्ञप्ति संख्या

श्रीमती/श्री/मैसर्स---------------को इलायची का नीलामकर्ता के रूप में ------------- इन नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए कारबार करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है

ये अनुज्ञप्ति 31 अगस्त------------तक वैध है

स्थान: तारीख:	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप- ख-3

[देखें नियम 4(3)]

व्यवहारी के रूप में अनुज्ञप्ति

अहस्तांतरणीय

अनुज्ञप्ति संख्या

श्रीमती/श्री/मैसर्स---------------को इलायची का नीलामकर्ता के रूप में ------------- इन नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए कारबार करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है ये अनुज्ञप्ति 31 अगस्त------------तक वैध है

स्थान: तारीख:	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-ग

[देखें नियम 5(2) और 10(1) (ट)]

नीलाम रिपोर्ट

[(1) उगाने वाले (2) व्यवहारी से प्राप्त इलायची की नीलामी के लिए पृथक् रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए]

मसाला बोर्ड अनुज्ञप्ति संख्या:	सत्र	अधिकतम मूल्य: रुपए

न्यूनतम मूल्य: रुपए

औसत मूल्य: रुपए

क्रम सं.	उगाने वाले/व्यवहारी का नाम और पूरा पता	एस्टेट रजिस्ट्रीकरण संख्या/बोर्ड अनुज्ञप्ति संख	नीलाम किए जाने के लिए रखी गई मात्रा (किलोग्राम में)	बिक्री की गई मात्रा (किलोग्राम में)	दर (रुपए/किलोग्राम)	मूल्य (रुपए में)	कमीशन (रुपए)	बोली लगाने वाले का नाम और पूरा पता	मसाला बोर्ड अनुज्ञप्ति संख्या	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने नियमों द्वारा नीलामी में विक्रय की गई इलायची के स्वामियों से अनुज्ञात 1 प्रतिशत कमीशन से भिन्न कोई छूट या कमीशन स्वीकार की गई है या प्राप्त की गई है और न ही मैंने /हमने क्रय कर्ताओं को कोई इलायची या कमीशन दी है।

स्थान: तारीख:	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-घ

[देखें नियम 10(1) (1)]

अग्रिम नीलाम रिपोर्ट

नीलामकर्ता का नाम और पता	:	
मसाला बोर्ड की अनुज्ञप्ति संख्या	:	
सत्र	:	
नीलाम संख्या	:	
नीलाम की तारीख	:	
नीलाम का स्थान	:	
पूर्ववर्ती नीलाम से अग्रणीत की गई मात्रा (किलोग्राम में)	:	
नई आवक (किलोग्राम में)	:	
नीलाम किए जाने के लिए रखी गई कुल मात्रा (किलोग्राम में) (क्रम संख्या 5 और 6 का योग)	:	
बिक्री की गई कुल मात्रा (किलोग्राम में)	:	
वापस ली गई मात्रा (किलोग्राम में) (क्रम संख्या (7)-(8)	:	
उगाने वालों को वापस की गई मात्रा (किलोग्राम में)	:	
नीलामकर्ता के पास शेष (किलोग्राम में) (क्रम संख्या (9)-(10)	:	
बिक्री का कुल मूल्य (रुपए)	:	
अधिकतम मूल्य (रुपए/किलोग्राम)	:	
न्यूनतम मूल्य (रुपए/किलोग्राम)	:	
औसत मूल्य	:	

स्थान: तारीख:	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-ङ

[देखें नियम 10(2) (ग)]

(अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी द्वारा रखे जाने वाला रजिस्टर का प्ररूप)

व्यवहारी का नाम और पता अनुज्ञप्ती संख्या	मास

क्रय

क्रय की तारीख	उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे क्रय किया गया है	उन व्यक्तियों की श्रेणी जिनसे क्रय किए गए हैं (अर्थात् उगाने वाला /नीलामकर्ता)
1	2	3
एस्टेट की रजिस्ट्रीकरण संख्या/नीलामकर्ता की अनुज्ञप्ति संख्या	मात्रा (किलोग्राम)	मूल्य (रुपए)
4	5	6

आंतरिक विक्रय

विक्रय की तारीख	उन व्यक्तियों का नाम और पता जिनको इलायची का विक्रय किया गया है	उन व्यक्तियों की श्रेणी जिनको इलायची का विक्रय किया गया है (अर्थात् निर्यातक/उपभोक्ता, अन्य)
1	2	3

निर्यातक*

मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (रुपए में)	मात्रा (किलोग्राम में)	पोत पर्यन्त नि:शुल्क (एफओबी) (मूल्य)
4	5	6	7

* केवल उन व्यवहारियों को लागू जिनके पास निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र है

प्ररूप-च

[देखें नियम 10(2) (घ)]

(अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी द्वारा बोर्ड को भेजा जाने वाला मासिक विवरण)

व्यवहारी का नाम और पता

मसाला बोर्ड की अनुज्ञप्ति संख्या

क्रय			आंतरिक बिक्री			निर्यात (*)	
जिनसे क्रय किया गया	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (रुपए)	जिसको विक्रय किया गया	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (रुपए)	मात्रा (किलोग्राम में)	पोत पर्यन्त नि:शुल्क (एफओबी) (मूल्य)
1 उगाने वाले			1 निर्यातक				
2 व्यवहारी			2 व्यवहारी				
3 नीलामकर्ता			3 उपभोक्ता				
4 अन्य			4 अन्य				
योग			योग			योग	

1. पिछले मास से अग्रणीत लाया गया स्टाक (किलोग्राम में)	:	
2. मास के दौरान क्रय की गई कुल मात्रा (किलोग्राम में)	:	
3. मास के दौरान आंतरिक बिकी की कुल मात्रा (किलोग्राम में)	:	
4. मास के दौरान निर्यात की गई कुल मात्रा (किलोग्राम में)	:	
5. मास के अंत में इतिशेष स्टाक (किलोग्राम में)	:	

* केवल उन व्यवहारियों को लागू जिनके पास निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र है।

मैं/ हम पुष्टि करते हैं कि मैंने /हमने इलायची के किसी उत्पादनकर्ता से प्रत्यक्षत: या किसी नीलामकर्ता के माध्यम से कोई कमीशन या छूट प्राप्त नहीं की है।

स्थान तारीख	(व्यवहारी के हस्ताक्षर)"

[फा.सं. 1/1/2014–ईपी (एग्री 5/बागान–घ)]

रजनी रंजन रश्मि, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 116(अ), तारीख 26 फरवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन सं. सा.का.नि. 645(अ), तारीख 13 सितंबर, 2002 और सं. सा.का.नि. 312(अ), तारीख 25 मई, 2006 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2014

G.S.R. 816(E).—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend in the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cardamom (Licensing and Marketing) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, -

(1) in rule 2, -

(a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :-

"(aa) 'auction' means a system of conducting sale of cardamom through the platform provided and approved by the Spices Board and includes manual auction, e-auction and online auction; " ;

(b) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :-

"(e) 'person' means an individual or a firm, company, multi-State co-operative societies registered under the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002) or a charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) . " ;

(2) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely :-

"4. Licensing of persons to carry on business of cardamom. - (1) Any person desiring to carry on business as auctioneer or dealer in any year may apply in Form A (Auctioneer) or A1 (Dealer) to the Board for a licence:

Provided that separate applications shall be necessary where a person desires to be licensed in more than one capacity:

Provided further that separate licence shall be necessary for an auctioneer in respect of manual auction for each centre if he desires to conduct auctions in more than one centre.

(2) Every application for licence as auctioneer or dealer shall be accompanied by a receipt of fee as specified in sub-rule (6) for a block period of three years or part thereof, starting from 1st September, 2014. For subsequent block period from 1st September, 2017, there shall be an increase of twenty-five per cent over and above the fee applicable for the previous block period for fresh licence and renewal of licence. The licence fee shall be rounded off to the nearest Rs.100/- wherever applicable. The fee shall be payable in the form of bank transfer or crossed account payee demand draft drawn in favour of the Secretary, Spices Board, payable at Ernakulam or Kochi.

(3) The Board may, if it is satisfied as to the suitability of the applicant as per sub-rules (4) and (5) as applicable, issue licence in Form-B Form-B1 or Form-B3 as the case may be.

(4) Every applicant for auctioneer licence shall have sufficient storage or godown or collection depots facility to store the cardamom pooled and the facility for cleaning and grading of cardamom.

(5) Every applicant for dealer licence shall have sufficient storage or godown facility to store the cardamom.

(6) Every application for issue of fresh licence or renewal of licence shall be accompanied by fee as under:-

(a) The fee payable for auctioneer licence is -

(i) manual auction – Rs. 5,000/- ;

(ii) e-auction – Rs. 50,000 /- ;

(b) the fee payable for dealer licence is Rs. 5,000/- ;

(3) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :-

"5. Renewal of licence. – (1) Any person desiring to renew his licence as auctioneer or dealer may submit his application to the Board in Form A or A1 respectively, on or before 30th June of the year in which the validity of the licence expires.

Provided that the Board may entertain an application for renewal of licence upto the date of expiry of validity of licence on payment of an additional fee of Rs. 2500/- for the delay of every month or part thereof in case of e-auctioneer and an additional fee of Rs. 250/- for delay of every month or part thereof in case of manual auctioneer or dealer.";

(2) The Board, if it is satisfied as to the suitability of the applicant, renew the licence in Form B or B1 or B3 as the case may be:

(3) The licence for e-auction shall not be renewed for succeeding block period of three years, if the auctioneer fails to transact any business for a continuous period of one year or fails to submit the extract of auction register maintained in Form C within the period specified in clause (K) of sub-rule (1) of rule 10.

(4) The licence shall not be renewed for succeeding block period of three years, if the dealer fails to transact any business or submit a NIL return during the period of holding a valid licence.

(4) after rule 9, the following rule shall be inserted, namely :-

"10. Terms and conditions for issue or renewal of licences.-

(1) The terms and conditions for issue or renewal of auctioneer licence shall be as under :-

(a) for e-auction, the applicant shall provide a security deposit in the form of a Bank Guarantee (equivalent to the average auction sale value of cardamom in one auction during the immediate preceding block period of three years) for the block period for which the applicant desires to obtain the auctioneer licence;

(b) for conducting e-auction using the Board's common facility, an auctioneer shall pay a user fee of Rs. 300/- per ton of cardamom sold in an auction plus service tax as applicable. The user fee shall be increased by twenty-five per cent rounded to the nearest Rs.10/- for every succeeding block period;

(c) Bank Guarantee shall not be applicable for manual auction;

(d) manual auctioneer licence shall not be issued in a State where the Board has established common e-auction centres;

(e) the auctioneer shall pay the growers whose cardamom is pooled, the applicable sale value of the cardamom sold in an auction within ten days from the date of the auction. If the auctioneer defaults to make payment as per the terms and conditions of the licence, the Board shall invoke the Bank Guarantee of the auctioneer forthwith for arranging settlement of amount due to growers and take steps for suspension and/or cancellation of the licence;

(f) the auctioneer shall provide necessary storage facilities including electronic weighing machine and moisture meters for pooling the cardamom in places convenient to the farmers.

(g) the auctioneer shall conduct the auction at a place and on a day and time specified by the Board;

(h) the auctioneer shall draw one thousand five hundred grams out of each lot (the quantity of cardamom pooled for auction as desired by the farmer), of cardamom offered for pooling and the quantity of sample drawn shall be recorded in the crop slip issued to the person whose cardamom is pooled. Out of the sample drawn, one hundred grams shall be set aside as purchaser sample and fifty grams shall be put on display at the auction centre. The remaining one thousand three hundred fifty grams shall be used by the auctioneer for distributing as samples during the bidding process of the said lot. The auctioneer shall refund the value of one thousand three hundred fifty grams of cardamom to the growers from the sample drawn. Thereafter, the total amount payable by the auctioneer to the person who pooled the cardamom shall be the sum of the sample refund value and the value for which the lot has been sold in an auction after deducting the eligible one per cent commission on the total amount. No additional charges shall be deducted in the name of wastage, weight loss and charity;

(i) the auctioneer shall not charge more than one per cent of the sale price as commission for the services rendered by him;

(j) the auctioneer shall not take or accept for himself or on behalf of the purchaser any discount or payment in cash or in kind other than the one per cent. commission due to him. The auctioneer shall ensure that the owner/seller gets value for the entire quantity of cardamom sold in the auction;

(k) the auctioneer shall maintain a register in Form 'C' and forward a copy of the same to the Board within seven days from the date of auction;

(l) the auctioneer shall also forward an advance report of the auction on the next day of auction in Form D;

(m) every auctioneer shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers and other records kept by him in connection with his business as cardamom auctioneer;

(n) on transfer of his business to another person, the auctioneer shall intimate the same to the Board and surrender his licence and the transferee shall obtain a fresh licence in accordance with the provisions of these rules;

(o) on the death of a licensed auctioneer, the original licence issued to him shall terminate. However, the legal heirs and if there are more than one legal heir of the deceased, any one of them nominated by the others, may apply to the Board for the issue of a fresh licence in accordance with the provisions of these rules;

(p) the auctioneer shall in respect of each auction recover payment due from bidders within seven days from the date of the auction and clear the dues to the growers within ten days from the date of auction and non-payment of dues to growers within the period so specified without any reason to the satisfaction of the Board shall be a violation of the conditions of licence. The information regarding dues to growers and from traders and their respective settlement shall be furnished to the Board in respect of each auction on a monthly basis. The auctioneers shall keep any unclaimed amount due to the growers in a separate account in the Bank and details thereof shall be intimated to the Board in respect of each auction on a monthly basis;

(q) the auctioneer shall ensure that the cardamom pooled in an auction is free from any adulteration, contamination and artificial colouring.

(2) The terms and conditions for issue or renewal of dealer licence shall be as under :-

(a) The licensed dealer shall purchase cardamom only from registered estate owners/growers or licensed auctioneers;

(b) dealer shall not solicit or accept any amount in cash or in kind from cardamom producers or auctioneers, whether by way of discount or commission;

(c) every dealer shall maintain a register in Form E;

(d) every dealer shall send a monthly return in Form F so as to reach the Board on or before the 10th day of the succeeding month;

(e) on transfer of his business to another person, the dealer shall intimate the same to the Board and surrender his licence and the transferee shall obtain a fresh licence in accordance with the provisions of these rules;

(f) on the death of a licensed dealer, the original licence issued to him shall terminate. However, the legal heirs and if there are more than one legal heir of the deceased, any one of them nominated by the others, may apply to the Board for the issue of a fresh licence in accordance with the provisions of these rules;

(g) every dealer shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers and other records kept by him in connection with his business as cardamom dealer;

(h) the dealers shall pay the auctioneers the value of the cardamom purchased in respect of an auction within seven days from the date of auction. Non-payment of the purchase value within the specified period shall be treated as a violation of the conditions of license.";

(5) for FORM-A, the following forms shall be substituted, namely:-

Affix passport size photograph of Chief Executive Officer or the designated officer of the firm

"FORM-A

[See rules 4(1) and 5(1)]

(Application for issue/renewal of licence as auctioneer)

(1) Name of the Person/Firm (in block letters)

2. Address of principal / registered office

Building No.

Building Name

Street

City PIN

State

Tel.

Mobile

Fax

E-mail

3. Status
(Please tick where appropriate)

- Proprietorship
- Private Limited Company
- Hindu Joint Family
- Public Limited Company
- Partnership
- Public Sector (Central Government)
- Co-operative Society
- Public Sector (State Government)
- Others Specify

*Strike out whichever is not applicable

4. Full name and permanent address of the proprietor/partners/directors (Attach additional sheets wherever required)

Name

Building No.

Building Name

City PIN

State

Tel.

Mobile

Fax

E-mail

6. Permanent Account Number (PAN)

(a) Sales Tax Registration
(Attach self-attested copy)

General Sales Tax

Date of issue

Place of issue

Central Sales Tax

Date of issue

Place of Issue

(b) Indicate whether the application is for renewal of the existing licence or for a new licence (Please tick where appropriate)

☐ Renewal ☐ New

(c) If for renewal, indicate
Licence Number

Date of Issue

Place of auction ---

Day of auction ---

Time of auction ---

(d) Answer only if the application is for renewal

Quantity and value of cardamom auctioned during the preceding year

Year	Quantity (MT)	Value (in Lakhs)

(e) Indicate Category (Please tick where appropriate)

A ☐ B ☐ C ☐

(A - average turn over above Rs.10 crore B- average turn over Rs. 1- 10 crore, C- average turnover less than Rs.1 crore)

(f) Details of fee remitted
Amount Rs.

(g) Mode of payment ☐ Cash ☐ Demand Draft

(h) Demand Draft No. Date

Name of the Bank

(5) If for new auctioneer licence, indicate :

(a) Place of auction

Day of auction

Time of auction

Frequency

j Infrastructure available at the proposed place of auction (Please tick where appropriate)
Godown ☐ Yes ☐ No

If so, location, address and capacity of the godown

Auction hall

Area of auction hall

Grading facility

Weighing machine

Lot sample display board

Tables/Chairs

Auction details display board

Computer facilities

Total floor area for storage

Transportation facility

Parking facility for vehicles

Road facility for movement of vehicles to the godown

Floor surface – cement, tiles, etc.

Packing facility

Pallets facility

Sieving facility

Lighting facility

(k) Working capital available Rs.

(l) Capital structure

Authorised capital Rs.

Paid up capital Rs.

DECLARATION

I/We ....declare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief and that I/We shall abide by the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, and any instructions given by the Board from time to time regarding the conduct of business.

Place: Signature

Date: Name

Designation

Note: Application not accompanied with prescribed shall not be entertained.

Affix passport size photograph of Chief Executive Officer or the designated officer of the firm

FORM-A1
[See rules 4(1) and 5(4)]

(Application for issue/ renewal of licence as dealer)

(6) Name of the Person/Firm (in block letters)

2. Address of principal / registered office

Building Nunmer

Building Name

Street

City PIN

State

Tel.

Mobile

Fax

E-mail

3. Status (Please tick where appropriate)

☐ Proprietorship ☐ Private Limited Company
☐ Hindu Joint Family ☐ Public Limited Company
☐ Partnership ☐ Public Sector (Central Government)
☐ Co-operative Society ☐ Public Sector (State Government)
☐ Others specify ☐

4. Type of licence applied for Dealership (Please tick where appropriate) New / Renewal

5. Full name and permanent address of the Proprietor/partners/directors (Attach additional sheets wherever required)

Name	
Building Number	
Building name	
City	PIN
State	
Tel.	
Mobile	
Fax	
E-mail	

6. Permanent Account Number (PAN)

a) Sales tax registration (Attach self attested copy)

General Sales Tax	
Date of issue	
Place of issue	
Central Sales Tax	
Date of issue	
Place of issue	

(b) Indicate whether the application is for renewal of the existing licence or for a new licence (Please tick where appropriate) ☐ Renewal ☐ New

(c) If for renewal, indicate
licence number ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Date of issue ☐☐☐☐☐☐☐☐

(d) Quantity and value of cardamom purchased and sold during the last three years

Year	Quantity (MT)	Value (in Lakhs)

(e) Details of fee remitted
Amount Rs. ☐☐☐☐☐☐☐

(f) Mode of payment ☐ Cash ☐ Demand Draft

(g) Demand Draft No. ☐☐☐☐☐☐☐☐ Date ☐☐☐☐☐☐

Bank ☐☐☐☐☐☐☐☐

(h) Source of purchase of cardamom (Please tick where appropriate)

☐ Auctioneer ☐ Grower ☐ Dealer

i) Storage facilities

Address of godown ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐ PIN ☐☐☐☐☐☐

(j) Capacity of godown (MT) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

DECLARATION

I/We.. declare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief and that I/We shall abide by the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, and any instructions given by the Board from time to time regarding the conduct of business.

Place: Signature

Date: Name
Designation

Note: Application not accompanied with prescribed fee shall not be entertained." ;

6) for FORM-B and FORM-B1, the following forms shall be substituted, namely :-

FORM–B

[See rule 4 (3)]

Licence as auctioneer (Manual)

(Not transferable)

Licence No.......

Smt/Shri/Messers .... is / are hereby authorised to carry on business in cardamom as auctioneer at .... subject to the terms and conditions specified in the rules.

The licence is valid upto the 31st day of August ....

Place:

Date:

Signature of authorised officer

FORM–B1

[See rule 4(3)]

Licence as auctioneer (e-auction)

(Not transferable)

Licence No.......

Smt/Shri/Messers .... is / are hereby authorised to carry on business in cardamom as auctioneer at .... subject to the terms and conditions specified in the rules.

The licence is valid upto the 31st day of August ....

Place:

Date:

Signature of authorised officer

FORM–B3

[See rule 4 (3)]

Licence as dealer

(Not transferable)

Licence No.......

Smt/Shri/Messers .... is / are hereby authorised to purchase cardamom in auction/purchase cardamom directly from growers subject to the terms and conditions specified in the rules.

The licence is valid upto the 31st day of August ....

Place:

Date:

Signature of authorised officer " ;

7) for FORM-C, FORM-D, FORM-E and FORM-Ff, the following forms shall be substituted, namely :-

FORM-C

[See rules 5(2) and 10(1) (k)]

(Auction Report)

[Separate report should be furnished for auctioning of cardamom received from (1) Planter (2) Dealer]

Spices Board licence number: Season: Maximum Price : Rs.

Auction No.: Minimum Price : Rs.

Date of auction : Average Price : Rs.

Sl. No.	Name and full address of the planter/ dealer	Estate Registration Number/ Board licence number	Qty. put for auction (kg)	Qty. sold (kgs)	Rate (Rs./kg)	Value (Rs.)	Commission (Rs.)	Name and full address of bidder	Spices Board licence number	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I/We confirm that no discount or commission other than the one per cent commission permitted to me/us by the rules has been accepted by me/us or received from the owners of cardamom sold in the auction and nor have I/We passed on any cardamom nor commission to the purchasers.

Signature of the auctioneer

Place:
Date :

FORM – D
[See rule 10(1)(l)]

(Advance Auction Report)

Name and address of the auctioneer:

Spices Board's licence number:

(s) Season :

(t) Auction number :

(u) Date of auction :

(v) Place of auction:

(w) Quantity carried over from previous auction (kgs.):

(x) Fresh arrivals (kgs.):

(y) Total quantity put for auction (kgs.) [Total of Sl.No. 5 and 6]:

(z) Total quantity sold (kgs.):

(aa) Quantity withdrawn [(kgs.) (Sl.No.(7) – (8)] :

(bb) Quantity returned to planters (kgs):

(cc) Balance with the auctioneer (kgs) [(Sl.No.(9) – (10)] :

(dd) Total value of the sales (Rs.) :

(ee) Maximum price (Rs./kg) :

(ff) Minimum price (Rs./kg) :

(gg) Average price (Rs./kg):

Signature of the auctioneer

Place:
Date:

FORM-E
[See rule 10(2)(c)]

(Form of the Register to be maintained by licensed dealer)

Name and address of the dealer:

Licence number:. Month:

PURCHASES

Date of purchase	Name and address of the person from whom purchase is made	Category of the person from whom purchase is made (viz. planter/auctioneer)
1	2	3
Registration number of the estate/licence number of auctioneer	Quantity (kgs)	Value (Rs.)
4	5	6

INTERNAL SALES

Date of sale	Name and address of the person to whom cardamom is sold	Category of person to whom cardamom is sold (viz. exporters/consumers, others)
1	2	3

EXPORTS*

Quantity (kgs.)	Value (Rs.)	Quantity (Kgs.)	Free on Board (FOB) (Value)
4	5	6	7

*Applicable only to dealers who are having certificate of registration as exporter.

FORM-F

[See rule 10(2)(d)]
(Monthly statement to be sent to the Board by licensed dealer)

Name and address of the dealer:

Spices Board's licence number:

Purchases			**Internal sales**			**Export (*)**	
Purchases from	Quantity (Kgs.)	Value (Rs.)	Sold to	Quantity (Kgs.)	Value (Rs.)	Quantity (Kgs.)	FOB Value (Rs.)
1. Planters			1. Exporters				
2. Dealers			2. Dealers				
3. Auctioneers			3.Consumers				
4. Others			4. Others				
Total			Total			Total	

1. Carry over stock from last month (Kgs.) :
2. Total quantity purchased during the month(Kgs.) :
3. Total quantity of internal sales during the month(Kgs.) :
4. Total quantity exported during the month(Kgs.) :
5. Closing stock at the end of the month(Kgs.) :

*Applicable only to dealers who are having certificate of registration as exporter.

I/We confirm that I/We have not accepted any commission or discount from any producer of cardamom directly or through the auctioneer.

Place : (Signature of the dealer) ".
Date :

[F. No.1/1/2014-EP(Agri-5)/Plant D]

RAJANI RANJAN RASHMI, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 116(E), dated the 26th February, 1987 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 645(E), dated the 13th September, 2002, and G.S.R. 312(E), dated the 25th May, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 09, 2018/फाल्गुन 18, 1939
No. 127] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 09, 2018/PHALGUNA 18, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 08 मार्च, 2018

सा.का.नि. 215(अ).—केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इलायची (अनुज्ञापन और विपणन)नियम 1987 में,

(1) नियम 4 में,-

(क) उप-नियम (I) में, "प्रारूप क (नीलामकर्ता) या क1(ब्यौहारी) में अनुज्ञप्ति केलिए बोर्ड को " के शब्द, अक्षर तथा कोष्ठकों के लिए, "निर्दिष्ट प्रारूप में, मसाला बोर्ड को" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) नीलामकर्ता या ब्यौहारी के रूप में प्रत्येक आवेदन के साथ तीन वर्ष की खंड अवधि या उसके भाग के लिए उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट फ़ीस की रसीद संलग्न होगी। पश्चातवर्ती खंड अवधि के लिए अनुज्ञप्ति के ज़ारी करने, नवीकरण करने और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ, समय-समय पर मसाला बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस का

पुनरीक्षण किया जाएगा। अनुज्ञप्ति फ़ीस, बैंक अंतरण के रूप में या मसाला बोर्ड के पक्ष में, एरणाकुलम या कोच्ची को संदेय क्रॉस पानेवाले के खाते में देय मांग ड्राफ्ट के रूप में संदेय होगी । "

(ग) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) मसाला बोर्ड, यदि उसका यथा लागू उप-नियम (4) और (5) के अनुसार आवेदक की उपयुक्तता का समाधान हो जाता है तो यथास्थिति निर्दिष्ट प्रारूप में अनुज्ञप्ति ज़ारी करेगा।

(घ) उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(6) नीलामकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति ज़ारी करने हेतु और ब्यौहारी के रूप में अनुज्ञप्ति के ज़ारी करने, नवीकरण करने और संशोधन करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे दिए अनुसार फ़ीस और यथा लागू कर, संलग्न होंगे ।

(क) नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए संदेय फ़ीस -

(i) पुस्तिका नीलामी

(1) ज़ारी करना – 15,000/- रुपए;

(2) संशोधन करना – 5,000/-रुपए ;

(ii) बोर्ड द्वारा स्थापित सार्वजनिक ई-नीलाम केन्द्रों में ई-नीलाम

(1) ज़ारी करना – 1,00,000/- रुपए;

(2) संशोधन करना – 5,000/- रुपए ;

(ख) ब्यौहारी अनुज्ञप्ति के लिए संदेय फ़ीस

(i) ज़ारी करने या नवीकरण करने या द्विनीतियक के लिए – 10,000/- रुपए;

(ii) संशोधन करने के लिए : 5,000/- रुपए । "

(2) नियम 5 में -

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) नीलामकर्ता या ब्यौहारी के रूप में अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने का इच्छुक व्यक्ति विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपना आवेदन मसाला बोर्ड को उस वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व जिसमें अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की समाप्ति होती है, प्रस्तुत करेगा:

परंतु, मसाला बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुबंधित अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बढाई जाएगी। "

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) मसाला बोर्ड को यदि आवेदक की उपयुक्तता का समाधान हो जाता है तो वह यथास्थिति विहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति का नवीकरण करेगा।"

(ग) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) ई-नीलामी के लिए किसी अनुज्ञप्ति का तीन उत्तरवर्ती खंड अवधियों के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा यदि नीलामकर्ता एक वर्ष की लगातार की अवधि केलिए किसी कारबार का संव्यवहार करने में असफ़ल रहता है या नियम 10 के उप नियम (1) के खण्ड (ट) और खण्ड (ड) के अनुपालन करने में असफ़ल रहता है। "

(3) नियम 10 में -

(क) उप-नियम (1) के खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ट) नीलामकर्ता विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक रजिस्टर रखेगा और उसकी एक प्रति मसाला बोर्ड को नीलामी की तारीख से सात दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा। "

(ख) उप-नियम (1) के खण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ठ) नीलामकर्ता नीलामी के अगले दिन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक अन्तरिम रिपोर्ट भी मसाला बोर्ड को अग्रेषित करेगा। "

(ग) उप-नियम (2) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) प्रत्येक ब्यौहारी मसाला बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक रजिस्टर रखेगा। "

(घ) उप-नियम (2) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(घ) प्रत्येक ब्यौहारी मसाला बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक माह विवरणी भेजेगा जिससे वह बोर्ड के पास पश्चातवर्ती मास की दस तारीख को या उससे पूर्व पहुंच जाए। "

(4) "इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1987 से प्ररूप-क,प्ररूप-क1, प्ररूप-ख, प्ररूप-ख1, प्ररूप-ख3, प्ररूप ग, प्ररूप-घ, प्ररूप ङ और प्ररूप च का लोप किया जाएगा और उसको केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ, समय-समय पर मसाला बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"

[फा .सं.1/1/2014-बागान-डी]

सन्तोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.116(अ) तारीख 26 फ़रवरी, 1987 और पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 645(अ), तारीख 13 सितंबर, 2002, सा.का.नि.312(अ), तारीख 25 मई, 2006 और सा.का.नि. 816(अ) तारीख 18 नवंबर, 2014 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2018

G.S.R. 215(E).— In exercise of the powers conferred by section 38 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cardamom (Licensing and Marketing) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, -

(1) in rule 4,-

(a) in sub-rule (1), for the words, letters and brackets "Form A (Auctioneer) or A1 (Dealer) to the Board" the words " the specified form, to Spices Board" shall be substituted.

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Every application, for license as auctioneer or dealer for a block period of three years or part thereof, shall be accompanied by a receipt of fee as specified in sub-rule (6). For subsequent block periods, there shall be a revision of fees, as stipulated by Spices Board from time to time, with the approval of the Central Government, for issue, renewal and amendment of license. The fee shall be payable in the form of bank transfer or crossed account payee demand draft drawn in favour of the Spices Board, payable at Ernakulam or Kochi".

(c) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) Spices Board may, if it is satisfied as to the suitability of the applicant as per sub rules (4) and (5) as applicable, issue license in the specified form, as the case may be".

(d) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(6) Every application for issue of license as auctioneer and issue, renewal and amendment of license as dealer shall be accompanied by a fee as under, plus the tax as applicable:-

(a) The fee payable for auctioneer license is -

(i) manual auction

(1) issue: Rs.15,000/-;

(2) amendment: Rs. 5000/-;

(ii) e- auction in common e-auction centers established by the Board

(1) issue: Rs.1,00,000/-;

(2) amendment: Rs. 5,000/- ;

(b) The fee payable for dealer lic ense is-

(i) issue or renewal or duplicate : Rs.10,000/-;

(ii) amendment: Rs.5,000/- ; "

(2) in rule 5, -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) Any person desiring to renew his license as auctioneer or dealer may submit his application to Spices Board in the specified form, on or before 30th June of the year in which the validity of the license expires:

Provided that the date for submission of application shall be extended, as stipulated by Spices Board from time to time".

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(2) Spices Board may, if it is satisfied as to the suitability of the applicant, renew the license in the prescribed form as the case may be".

(c) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The license for e-auction shall not be renewed for the succeeding block period, if the auctioneer fails to transact any business for a continuous period of one year or fails to comply with clause (k) and clause (m) of sub-rule (1) of rule 10".

(3) in rule 10,-

(a) for clause (k) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :-

"(k) the auctioneer shall maintain a register in the specified form and forward a copy of the same to Spices Board within seven days from the date of auction".

(b) for clause (l) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:-

"(l) the auctioneer shall submit an interim report of the auction to Spices Board, on the next day of the auction in the form specified by the Board" .

(c) for Clause(c) of sub-rule (2), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) every dealer shall maintain a register in the form specified by Spices Board".

(d) for Clause (d) of sub-rule (2), the following clause shall be substituted, namely:-

"(d) every dealer shall submit a monthly return in the form specified by Spices Board so as to reach the Board on or before the 10th day of the succeeding month".

(4) "FORM- A, FORM A1, FORM -B, FORM B1, FORM B3, FORM C, FORM D, FORM E, and FORM F shall be omitted from the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987 and the same may be specified by Spices Board from time to time with the approval of the Central Government".

[F.No.1/1/2014-Plant -D]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 116(E), dated the 26th February,1987 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 645(E), dated the 13th September, 2002, G.S.R. 312(E), dated the 25th May, 2006 and G.S.R. 816(E), dated the 18th November, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.03.12 19:42:59 +05'30'